असंगठित क्षेत्र और भारतीय अर्थव्यवस्था के अनौपचारिकण का अध्ययन

डॉ. प्रतीक्षा पावक

इसमें कोई सन्देह नहीं कि चमकते भारत का पिछले कुछ वर्षों में विस्तार हुआ है और यह अब भी बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। परन्तु यह तस्वीर उस समय खराब हो जाती है जब हमें देश के 77 प्रतिशत गरीब और दुर्बल वर्गों की अत्यन्त दयनीय रूप में जीवन व्यतीत करने की दशाओं का पता चलता है। यह दूसरी दुनिया है जिसे आम आदमी की दुनिया कहा जा सकता है। विकास–प्रक्रिया ने मोटे तौर पर इस वर्ग की उपेक्षा ही की है।

आरंभ में यह अधिक वांछनीय होगा कि असंगठित क्षेत्र की अवधारणा को समझा जाए। यह बात भी स्पष्ट कर देनी चाहिए कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के शब्दों का भारत में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है।

अतः शब्द के प्रयोग के बारे में स्पष्टता और समानता का अभाव है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र (Unorganised or Informal Sector) की परिभाषा में ऐसे उद्यमों को शामिल करता है जिनमें यदि पावर का प्रयोग न किया जाता हो, तो 20 से अधिक कर्मचारी काम न करते हों और यदि पावर (Power) का प्रयोग हो रहा हो, तो 10 कर्मचारियों से अधिक काम न करते हों। इन उद्यमों में काम करने वाले श्रमिक किसी कानून के आधीन जैसे औद्योगिक विवाद कानून (1948) के आधीन पंजीकृत नहीं होते। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (System of National Account) के अनुसार इन श्रमिकों को परिवार क्षेत्र (और परिणामत अनौपचारिक क्षेत्र) में शामिल किया जाता है।

मुख्य बिन्दू– *व्यतीत, विकास–प्रक्रिया, वांछनीय, अन्तर्राष्ट्रीय, पर्यायवाची*

असंगठित क्षेत्र में रोज़गार को कुल रोज़गार में से संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या को घटाकर अवशेष के रूप में प्राप्त किया जाता है और यह विधि रोज़गार और प्रशिक्षण के महानिदेशक (Director General of Employment and Training & DGET) द्वारा अपनायी गयी है। ''**अतः महानिदेशक द्वारा**

प्रतिपादित आंकड़े इनमें संगठित क्षेत्र में अनौपचारिक या असंगठित रोजगार के रूप में काम कर रहे श्रमिकों को शामिल नहीं करते परन्तु यह प्रवृत्ति भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण रूप में विकसित हो रही है।''[1] इस सीमा तक अर्थव्यवस्था असंगठित क्षेत्र के रोजगार में अल्पानुमान का अंश पाया जाता है।

असंगठित क्षेत्र के उद्यमों पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा सितम्बर 2004 में की गयी। आयोग ने इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर असंगठित क्षेत्र की परिभाषा इस प्रकार की असंगठित क्षेत्र में निजी अनियमित क्षेत्र (Union corporated private enterprisè) के सभी उद्यम शामिल किए जाते हैं जिनका स्वामित्व व्यक्तियों या परिवारों में होता है और जो एक व्यक्ति स्वामित्व या साझेदारी आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और विक्रय का कार्य करते हैं और जिनमें 10 से कम व्यक्ति कार्यरत होते हैं। दूसरे, राष्ट्रीय आयोग ने असंगठित या अनौपचारिक रोजगार (Unorganised or Informal Employment) की परिभाषा इस प्रकार की है।

''असंगठित श्रमिकों में वे सभी शामिल किए जाते हैं जो असंगठित उद्यमों या परिवारों में कार्य करते हैं। इनमें ऐसे श्रमिक शामिल नहीं किए जाते जिन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त होते हैं और इनमें ऐसे श्रमिक भी शामिल किए जाते हैं''[2] जो औपचारिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हैं परन्तु नियोजकों द्वारा रोज़गार अथवा सामाजिक सुरक्षा (Social security) से वंचित रखे जाते हैं। यह परिभाषा आकस्मिक (ब्रैनंस) या ठेका श्रमिकों (Contract labourers) को संगठित या औपचारिक श्रमिकों की श्रेणी से बाहर कर देती है और इस प्रकार यह संगठित क्षेत्र के रोजगार को और वास्तविक रूप में प्रस्तुत करती है।

अनुमान तैयार किया है। जनवरी 2005 में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार (प्रमुख और सहाय) 45.8 करोड़ था जिसमें असंगठित क्षेत्र का भाग 39.5 करोड़ था अर्थात् 2004–05 कुल श्रमिकों का 86 प्रतिशत किन्तु असंगठित क्षेत्र के उद्यमों घर राष्ट्रीय आयोग ने संगठित असंगठित क्षेत्र में रोजगार और संगठित एवं असंगठित श्रमिक में भेद व्यक्त किया है। असंगठित क्षेत्र का तात्पर्य ऐसे उद्यमों से है जिनमें 10

से कम श्रमिक रोजगार प्राप्त है। परन्तु असंगठित श्रमिकों का अभिप्राय संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे श्रमिकों से हैं जिन्हें सामाजिक सुरक्षा (Social security) के लाभ उपलब्ध नहीं हैं।

तालिका–1 में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि संगठित क्षेत्र में 2004–05 में रोजगार प्राप्त 6.26 करोड़ श्रमिकों में 2.91 करोड़ श्रमिक असंगठित श्रमिक हैं यदि सामाजिक सुरक्षा लाभ की कसौटी को आधार बनाया जाए। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त 39.5 करोड़ श्रमिकों में 0.4 करोड़ को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त है और इसलिए उन्हें संगठित श्रमिकों में वर्गीकृत किया गया है। इन दो कसौटियों का प्रयोग करने के पश्चात्, 45.75 करोड़ कुल रोजगार प्राप्त श्रमिकों में केवल 3.49 करोड़ का सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त है। अर्थात् 2004–05 में 7.6 प्रतिशत को और शेष 42.26 करोड़ को अर्थात् 92.4 प्रतिशत को असंगठित श्रमिक माना गया है। यदि इसकी तुलना 1999–00 से की जाए, तो पता चलता है कि 1999–00 और 2004–05 के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार 39.7 करोड़ से बढ़कर 45.8 करोड़ हो गया अर्थात् 6.1 करोड़ की 5 वर्षों में वृद्धि, परन्तु संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को संख्या 3.5 करोड़ पर ही अवरुद्ध रही और रोजगार में समग्र वृद्धि असंगठित श्रमिकों के वर्ग में हुई। अतः राष्ट्रीय आयोग ने इस स्थिति को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है

"साधारण शब्दों में इस का अर्थ यह है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार में समग्र वृद्धि इस काल के दौरान अनौपचारिक रूप में हुई अर्थात् बिना किसी नौकरी को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराए। इसे औपचारिक क्षेत्र का अनौपचारीकरण (Informalisation of the formal sector) ही कहा जा सकता है।"[3]

तालिका–1

अनौपचारिक/असंगठित श्रमिक	**औपचारिक/संगठित श्रमिक**		**कुल**
1999–2000			
अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र	**24.13 (99.6)**	**0.14 (0.4)**	**34.27 (100.0)**

अनौपचारिक / संगटित क्षेत्र	2.05 (37.5)	3.36 (62.2)	5.41 (100.0)
कुल	36.18 (91.2)	3.50 (8.8)	39.68 (100.0)
	2004–2005		
अनौपचारिक / असंगठित क्षेत्र	39.35 (99.6)	0.14 (0.4)	39.49 (100.0)
अनौपचारिक / संगटित क्षेत्र	2.05 (37.5)	3.36 (62.2)	5.41 (100.0)
कुल	36.18 (91.2)	3.50 (8.8)	39.68 (100.0)

रोजगार में वृद्धि ऐसे नियमित श्रमिकों (Regular workers) के रूप में होती है जिन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त नहीं और दिहाड़ीदार या ठेका मजदूरों के रूप में होती है जिन्हें औपचारिक श्रमिकों की भांति सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त नहीं होते। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का वर्गीकरण–

(क) मजदूरी प्राप्त श्रमिक मजदूरी प्राप्त श्रमिक ऐसे असंगठित क्षेत्र में मजदूरी प्राप्त करने वाले ऐसे श्रमिक होते हैं जिन्हें नियोजक प्रत्यक्ष रूप में या एजेन्सियों अथवा ठेकेदारों के माध्यम से रोजगार पर लगाते हैं। **''मजदूरी प्राप्त श्रमिकों में आकस्मिक या अस्थायी श्रमिक होते हैं या ऐसे श्रमिक होते हैं जिन्हें परिवार नौकरी पर लगाते हैं जैसे घरेलू श्रमिक। मज़दूरी प्राप्त श्रमिकों में असंगठित क्षेत्र में नियमित श्रमिकों को भी शामिल किया जाता है।''**[4]

(ख) असंगठित क्षेत्र में स्व–रोजगार प्राप्त ये श्रमिक फार्म या गैर–फार्म उद्यमों कार्य करते हैं या किसी व्यवसाय या व्यापार में अपने खाते पर वैयक्तिक रूप में या साझेदार के साथ कार्य करते हैं या गृह–आधारित श्रमिक (Home based workers) होते हैं। स्व–खाता श्रमिकों (Own account workers) में परिवार के ऐसे श्रमिक भी होते हैं जो बिना–मजदूरी लिए काम करते हैं।

''श्रमिकों के दोनों वर्गों को अलग–अलग प्रकार की दुर्बलताओं एवं जोखिमों को झेलना पड़ता है और इसीलिए उन्हें समाज के कमजोर वर्गों की संज्ञा दी जाती है।''[5]

इन्हें दो प्रकार की दुर्बलताओं का सामना करना पड़ता है। नौकरी की असुरक्षा (Job insecurity) अथवा सामाजिक असुरक्षा (Social insecurity) या दोनों असंगठित क्षेत्र में नियमित श्रमिक ऐसे मज़दूर होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं और इसके बदले वेतन या मज़दूरी नियमित आधार पर प्राप्त करते हैं। इन श्रमिकों को सामाजिक असुरक्षा को झेलना पड़ता है और इन्हें बीमारी, चोट या वृद्धावस्था के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। इसके विरुद्ध, अस्थायी श्रमिकों या दिहाड़ीदार मजदूरों को दोनों प्रकार की असुरक्षा अर्थात् नौकरी असुरक्षा और सामाजिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।

गृह आधारित श्रमिक–एक पृथक वर्ग अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation) ने 1996 में गृह–आधारित श्रमिक की परिभाषा ऐसे श्रमिक के रूप में की जो स्वयं निर्धारित स्थान पर पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, जोकि नियोक्ता (Employer) के कार्य–स्थान से अलग होता है, और जिसके परिणामस्वरूप नियोक्ता द्वारा निश्चित वस्तु या सेवा उपलब्ध करायी जाती है और इस बात का ध्यान रखे बिना कि कौन उपकरण, सामग्री या अन्य प्रयोग होने वाली वस्तुएं उपलब्ध कराता है।

संदर्भ सूची

1. *एस. चन्द, दत्त एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था एस चन्द चण्ड कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली, संस्करण 2018, पृ. 748*
2. *वहीं, पृ. 752*
3. *वहीं, पृ. 755*
4. *वहीं, पृ. 756*
5. *वहीं, पृ. 776*

Contributors Details:

डॉ. प्रतीक्षा पावक